To,

Add. Principal Chief Conservator of Forest

Cum FCA Nodal Officer,

Jhalana Institutional Area

Aranaya Bhawan, Jaipur (Rajasthan)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. **FP/RJ/ROAD/118453/2021.**

Ref: EDS Letter dated 12.03.2021

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS on dated 12.03.2021 regarding Forest Diversion Proposal for "**Construction of Road from Jalore City to Jalore Fort (Design Chainage 0+000 km to 5+176 km) Village, Tehsil and District- Jalore in State of Rajasthan".**

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on **MoEFCC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Sr No.	EDS raised by Forest Department	Reply by User Agency
1.	CA NFL details are not given. Why in para of CA BFL, land asked for diversion details and KML are uploaded.	1. We hereby undertake that, Initially Forest diversion Proposal was submitted for 5.45 ha. forest land through offline mode. 2. Forest department has not considered the offline proposals after 14th July, 2014 therefore fresh Forest diversion Proposal has been submitted wide proposal no. FP/RJ/ROAD/118453/2021 3. District Collector, Jalore has allotted the 5.45 ha. Non forest land in Favour of Forest Department vide letter no. F 12(3)(9)PWD/Revenue/13/5097 dated 3rd May, 2013 as per Old Proposal. 4. Allotted 5.45 ha. Non forest land is also Muted in favour of Forest department and Under Possession with Forest Department, Jalore. Documents enclosed.

		5. Before Submission of Online Forest Diversion Proposal again survey has been carried out and possible efforts were made by Municipal Council, Jalore to minimize the Forest land therefore slightly alignment has been changed and forest land proposed for diversion is comes 4.0144 ha. 6. We herby undertake that, We will submit the Non Forest Land Allotment Digital Map, Survey of India Toposheet Map and KML file during the Part-II processing. In this regards, Separate undertaking has been also uploaded in Part-I as add. documents.
2.	FS of Rs. 20.00 Lacs is uploaded while project cost is 1721.44 lacs. Please clarify it.	We herby undertake that, Initially 20.00 lakhs amount has been sanctioned and balance amount sanctioned shall be sanctioned. We also hereby undertake that, User agency is committed to complete the work.

Place: Jalore

Date: 23.03.2021

आयुक्त

Signature of User Agency

Office Seal

कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

क्रमांकः नपजा/लेखा/2020–21/8952

दिनांक :– 18/3/21

– :: प्रमाण पत्र :: –

विषय :– जालोर शहर से दुर्ग तक सम्पर्क सड़क निर्माण के तहत 20.00 लाख रू की स्वीकृति के संबंध में।

——00——

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जालोर शहर से जालोर दुर्ग तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने के तहत 20.00 लाख रू राशि की स्वीकृति दिनांकः 25.02.2021 को जारी की जा चुकी हैं। उक्त परियोजना में भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर यह सूनिश्चत किया जावेगा कि उक्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण किया जायेगा। इस कार्य हेतु नगरपरिषद प्रतिबद्व हैं।

गोविन्द टांक

(गोविन्द टांक)
सभापति
नगरपरिषद,जालोर

(महिपाल सिंह)
आयुक्त
नगरपरिषद,जालोर

क्रमांकः नपजा/लेखा/2020–21/

दिनांक :–

प्रतिलिप :–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर।
2. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगरपरिषद,जालोर

कार्यालय जिला कलक्टर, जालोर

कमांक / एफ 12(3)(9) सार्व. / राजस्व / 13 / 5097 दिनांक : 3/5/13

आदेश

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक / प.6 (139) राज / ग्रुप–3 / 13 दिनांक 24–4–13 के अनुसरण में मौजा छीपरवाडा तह0 आहोर के ख0न0 597 / 672 रकबा 53.20 है0 किस्म गै0मु0 बा0सो0 में से रकबा 5.45 है0 भूमि की किस्म खारिज , कर झरणेश्वर प्रवेश द्वार से जालोर दुर्ग तक पक्की सडक बनाने के उपयोग में आने वाले वन क्षेत्र की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत उप वन सरक्षक जालोर को निःशुल्क आवंटन किया जाता है। जिसका नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

जिला कलक्टर
जालोर
दिनांक 3/5/13

कमांक / सम / 5098 – 5103

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. उप शासन सचिव, राजस्व(ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान,जयपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, आहोर
3. उप वन संरक्षक जालोर
4. तहसीलदार, आहोर
5. पटवारी हल्का छीपरवाडा तह.आहोर
6. गार्ड पत्रावली

कृते जिला कलक्टर
जालोर

क्रमांक/6024 दि० 30/8/13

इस अ0शा0पत्र के माध्यम से श्रीमान का ध्यान जालोर जिले में स्थित एतिहासिक, धार्मिक, परातात्विक, सामाजिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन एवं भव्य जालोर दुर्ग की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । इस कम में निवेदन है कि जालोर दुर्ग प्राचीन काल से हिन्दू, जैन, मुसलिम समुदायों की धार्मिक आस्था का स्थान रहा है एवं यहां हर वर्ष मेले/धार्मिक आयोजन होते है । वास्तुशिल्प एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से जालोर दुर्ग में कई विशिष्ठताएं है एवं धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की अपार संभावनाएं है ।

जालोर के गौरवमय इतिहास के प्रतीक एवं जन आस्था केन्द्र इस दुर्ग पर जाने के लिए सडक नहीं होने से पर्यटकों, महिलाओं, बच्चो एवं वृद्धजन को 1500 सीढीयां चढने में असुविधा होती है ।

दुर्ग तक सडक निर्माण की लोकप्रिय एवं न्यायोचित मांग के लिए जनता द्वारा ज्ञापन, प्रदर्शन तथा जन प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण बिन्दु की तरफ आकर्षित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के मध्य नजर सार्वजनिक निर्माण विभाग जालोर सर्कल के पर्यवेक्षण एवं स्थानीय दानदाताओं के सहयोग से इस सडक का सर्वे करवाकर डीपीआर तैयार करवायी गई है जिसमें 5.45 किमी सडक बनाने के लिए रूपये 1771 लाख की लागत आने की संभावना है तथा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जालोर द्वारा वन भूमि के अनारक्षण प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन सरंक्षक राज0जयपुर को दिनांक 20.3.2013 को प्रेषित किया गया जिसके कम में सडक मार्ग में आने वाली भूमि के विनिमय में सिवायचक भूमि आवंटित कर दी गई है तथा जिला स्तर पर समस्त औपचारिकता पूरी हो गई है, परन्तु बजट के अभाव में प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हो पा रहा है ।

अतः जनहित में इस महत्वाकांक्षी कार्य हेतु 1771 लाख की राशि स्वीकृति करवाने का श्रम करावें ।

सलंग्न–1–सडक निर्माण बजट अनुमान,
2–अनारक्षण के प्रस्ताव ।

श्री जे0सी0महन्ती,
प्रमुख शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राज0जयपुर ।

भवदीय,

(राजन विशाल)

(7)

। जाका-रामनवाडी

प्रपत्र सं. पी 26 (A)
(देखिए नियम 13)

केवल नकल के उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम दिंपरवाडा पटवार क्षेत्र चवरछा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुड़ाबालोतान तहसील आहोर जिला जालोर राजस्थान सम्वत् 2068 से 2071 तक

खेवट (खतौनी) संख्या		भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप - आविक्रिक नैवाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा		सम्वत् ....के लिए		सम्वत् ....के लिए		सम्वत् ....के लिए		टिप्पणियां
नई	पुरानी							दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनाङ्क	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	राजस्थान सरकार	2 से 5 वर्ष परती (जुताई हेतु)	597 672	53.20	बा०ठलाव	53.20	—	—	आवंटन- स्वीकृत m.N. 652 दिनांक 01/6/2013 m.N स्वीकृत होने पर खसरा 597/672 रकबा 53.20 में से 5.45 हे० भूमि आवंटन होने पर खसरा 773/672 रकबा 5.45 हे० गै०मु० वन वन विभाग नाम दर्ज किया ई शेष [illegible] बदस्तूर जमाबन्दी [illegible] ह० पटवारी चवरछा						
				1	53.20	बा०[illegible]	53.20	—	—							

सरकार हक में निःशुल्क दर्ज

प्रतिलिपि क्रम सं. 58 दि. 19/06/15
सत्य प्रतिलिपी
[illegible] 19/06/15
पटवारी (भू.अ.), चवरछा
तह. आहोर (जालोर)

ग्राम छिपरवाड़

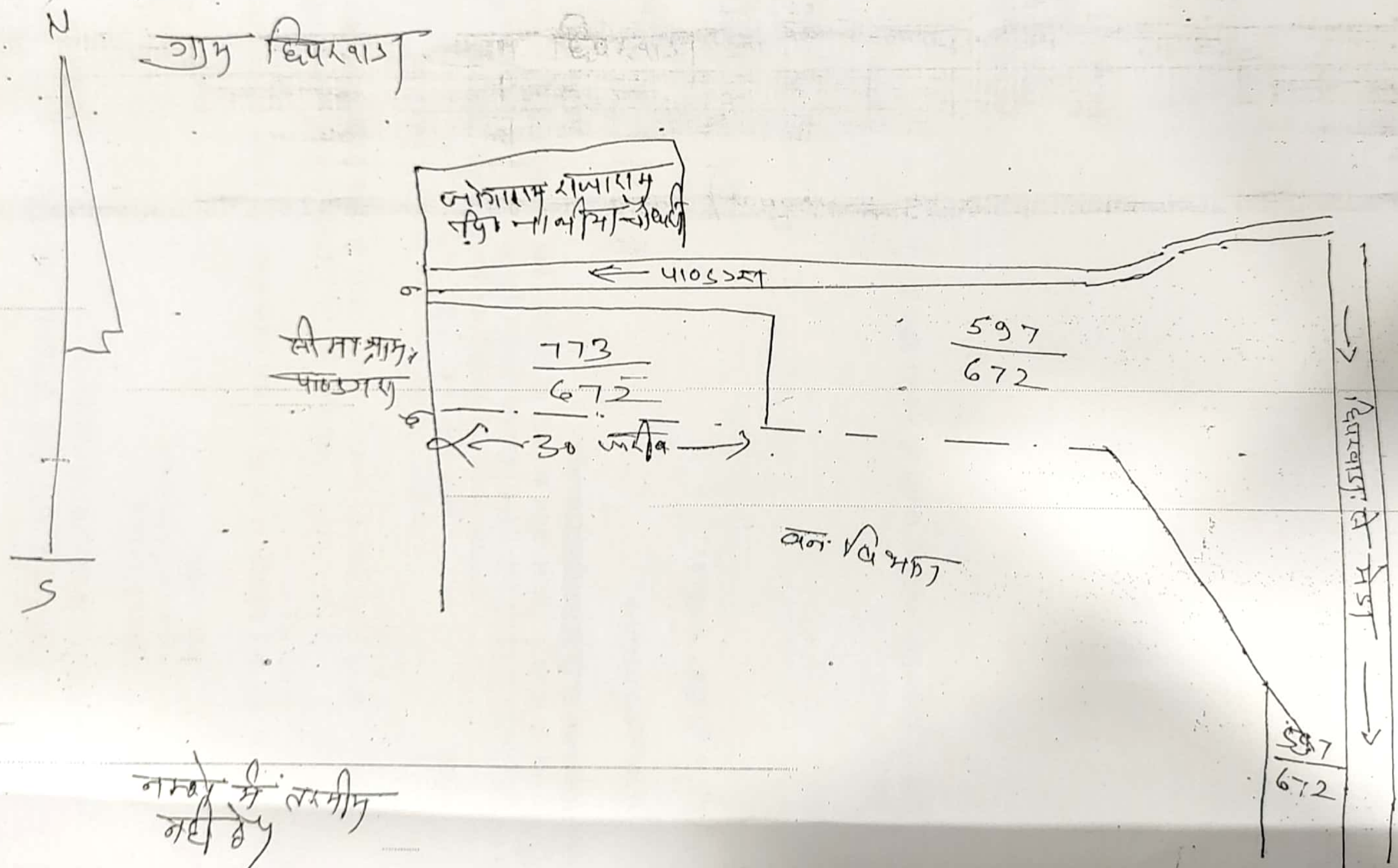

नक्शे में तरमीम नहीं है

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालोर

क्रमांक :– एफ ( ) उवसं / एफसीए / 2016–17 / 780 दिनांक 17/2/2017

निमित – अधिशासी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड–जालोर

विषय :– झरनेश्वर प्रवेशद्वार से जालौर दुर्ग तक सडक निर्माण हेतु वनभूमि के अनारक्षण प्रस्ताव के क्रम में।

प्रसंग :– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर महोदय के पत्रांक 2217 दिनांक 20.03.2013 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र द्वारा आपको अनारक्षण प्रस्तावों में पाई गई कमियों की पूर्ति कर पुनः प्रेषित करने हेतु अवगत कराया गया था, जो कि अपेक्षित हैं। अतः अतिशीघ्र पूर्ति कर अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को भिजवाये, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

17/2/17

(हनुमानाराम)
उप वन संरक्षक
जालोर

क्रमांक :– सम / 781 दिनांक 17/2/2017

प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

17/2/17

(हनुमानाराम)
उप वन संरक्षक
जालोर

(13)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, जालोर

क्रमांक/सामान्य/2017/ 2385 दिनांक :- 16/3/17

प्रेषिति :-

उप वन संरक्षक
जालोर

F.C.A

विषय :- जालोर किले पर सडक निर्माण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला मुख्यालय पर स्थित जालोर दुर्ग पर चढने हेतु सडक निर्माण से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है इस संबंध में वन विभाग से संबंधित कोई एनओसी या अन्य कार्यवाही विचाराधीन हो तो उसके तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप खण्ड अधिकारी
जालोर

कार्यालय-उप वन संरक्षक
पत्र-प्राप्ति
क्रमांक 941
दिनांक 17/3/17
जालोर (राजस्थान)

16/3/17